17 बालिका शिक्षा (नवाचारी)

(1) **ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनाः –** गत वर्षों के डाइस डेटा से स्पष्ट है कि कक्षा–5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाएं कक्षा–6 में ड्रॉपआउट हो जाती है तथा कक्षा–8 तक पहुॅचते–पहुॅचते यह ड्रापआउट और भी बढ़ जाती है। इसके मुख्य कारण है :–

- बालिकाओं के घर से उ0प्रा0वि0 की दूरी 1 कि0मी0 से अधिक होना।
- अकेले बालिकाओं को दूर भेजने में माता–पिता की झिझक।
- कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते साधनों से भेजने में दैनिक व्यय की समस्या।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन, ठहराव वृद्धि तथा नियमित उपस्थिति के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई है। इसके अंतर्गत –

- कक्षा–6 की बालिकाओं को इस स्कीम का लाभ दिया जाए जिसका घर विद्यालय से ढेड कि0मी से अधिक दूरी पर है। अधिक दूरी वाली बालिका को पहले प्राथमिकता दी जावे।
- निवास से विद्यालय आने व जाने हेतु प्रत्येक पात्र बालिका को 5 रूपये प्रति स्कूल उपस्थिति दिवस की दर से/वास्तविक व्यय, जो भी कम हो के आधार पर भुगतान किया जाये। पूरे सत्र में अधिकतम 200 कार्य दिवसों के आधार पर 1000/– देय होंगे।
- बालिका को नकद भुगतान पिछले माह की उपस्थिति के आधार पर एसडीएमसी द्वारा किया जायेगा।
- बालिकाएं आने–जाने के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से राजस्थान रोड़वेज बस, प्राइवेट बस, स्थानीय साधन–यथा बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, जीप आदि जो भी उपलब्ध हो का इस्तेमाल कर सकती है।
- 1000/– रू. प्रति बालिका की दर से 15.00 लाख रूपयें के बजट में जिले में 1500 बालिकाएं लाभान्वित हो सकेंगी। बालिकाओं की 1500 से अधिक संख्या होने पर अधिकतम जेण्डर गेप वाले ब्लॉकों को प्राथमिकता दी जावे।
- मेवाल हॉस्टल खोले जाने के कारण यह गतिविधि अलवर जिले में लागू नहीं होगी तथा भरतपुर जिले में केवल 500 बालिकाएं लाभान्वित हो सकेगी।
- प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से कक्षा–6 की बालिकाओं की प्रपत्र–1 में सूचना ब्लॉक स्तर पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में एकत्र की जावेगी।
-

ब्लॉक स्तरीय प्रपत्र **नाम – ब्लॉक**

क्र.सं.	बालिका का नाम	जाति	घर से विद्यालय की दूरी	विद्यालय	संकुल

ब्लॉक स्तरीय प्रपत्र का जिला स्तर पर 15 जुलाई तक विश्लेषण किया जावेगा तथा जिले के बजट के आधार पर ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा तथा अनुमोदन हेतु प्रपत्र–2 में 20 जुलाई तक सूचना परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से भिजवानी होगी।

जिला स्तरीय प्रपत्र **जिला**

क्र.सं.	ब्लॉक	बालिकाओं की संख्या		
		1.5–2 कि.मी.	2 कि.मी. से अधिक	कुल

(2) **मेवात स्कीमः –** मेवात श्रेत्रीय विकास योजनान्तर्गत निर्मित बालिका आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयानुसार इन बालिका आवासीय विद्यालयों को केजीबीवी मॉडल III की तर्ज पर चलाया जायेगा तथा भवनो का हस्तारणं एसएसए को किया जायेगा। भवनों के टेकओवर पश्चात आवश्यक मरम्मत हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्धारा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना से राशि उपलब्ध कराई जायेगी। स्कीम के अन्तर्गत अलवर (6) एवं भरतपुर (5) के 11 मेवात छात्रावासो को संचालित किया जायेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भिजवाये गये नवीन प्रस्ताव के अनुसार निम्नानुसार आवर्ती एवं अनावर्ती (One Time) राशि की उपलब्ध होगीः –

S.N.	Item of Expenditure	For 50 girls		
		Unit Cost (lacs)	Target	
			PHY.	FIN. (lacs)
Non- Recurring Costs (Only for New KGBV sanctioned 2008-09 and KGBV with revised cost)				
1	Construction/Alteration of Building/ Repairing	1.0	11	11.00
2	Water Facilities	0.50	11	5.50
3	Electrification	0.50	11	5.50
4	Furniture/Equipment including Kitchen	2.5	11	27.5
5	TLM & Library Books	3.00	11	33.00
6	Bedding	0.375	11	4.125
	Total Non Recurring	7.875	11	86.625
	Recurring Costs			
1	Maintenance per girls student per month @ Rs. 900 (food, personal items, uniforms, sweater etc.)	5.40	11	59.40
2	Stipend for girls student per month @ Rs. 50 (Education tour, gardening, play ground development)	0.30	11	3.3
3	Supplementary TLM , Stationary and other educational material (reference material for study)	0.30	11	3.3
4	Examination Fee	0.01	11	0.11
5	Salaries (Agency Staff – Per Month) • Warden – 0.09 • Teacher – 0.07 • LDC cum Computer Operator – 0.05 • Head Cook – 0.03 • Cook – 0.025 • Helper/Peon – 0.026 • Guard – 0.03 (Peon and Guard will work for 12 month and other staff for 11 month)	3.60	11	39.60
6	Vocational Training/ Specific Skill training	0.30	11	3.3

7	Electricity / Water Charges (Electricity, water, telephone & Internet rent)	0.36	11	3.96
8	Medical Care/ Contingencies @ Rs. 500/ Child (Health check-up] medicine)	0.38	11	4.18
9	Maintenance (Building repair, construction/incinerators/fire fighter & beautification)	0.20	11	2.2
10	Miscellaneous (गद्दों की धुलाई) Kitchen and electric, equipment maintenance)	0.20	11	2.2
11	Preparatory Camps	0.10	11	1.1
12	PTAs/ School functions (Parents meeting, sports competitions, annual functions)	0.10	11	1.1
13	Capacity Building (Bala activities, internet connections)	0.30	11	3.3
	Total Recurring	**11.55**	**11**	**127.05**
	Grand Total (Non-Recurring+Recurring)			**213.675**

संदर्भित पत्र के अनुसार 11 आवासीय विद्यालयों (6 अलवर एवं 5 भरतपुर) के संचालन हेतु राशि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निम्नानुसार विभागों की होगी –

क्र.सं.	विभाग	मद	राशि (लाख में)
1.	मेवात क्षेत्रीय विकास योजना	अनावर्ती व्यय तथा शेष आवर्ती व्यय	158.675
2.	सर्व शिक्षा अभियान	5.00 लाख प्रति विद्यालय आवृति व्यय	55.00
		योग	**213.675**

उपरोक्त प्रस्ताव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर को भिजवा दिया गया है। राशि प्राप्त होते ही अलवर एवं भरतपुर जिलों को आगामी कार्यवाही हेतु विस्तृत निर्देश जारी कर दिये जायेंगे। एसएसए द्वारा वहन की जाने वाली राशि नवाचारी (बालिका एवं अल्प संख्यक शिक्षा) मद से देय होगी।

(3) जेण्डर संवेदनशीलता शिक्षक प्रशिक्षणः – राज्य के 9 जिलों – अजमेर, बाडमेर, भीलवाडा, जैसलमेंर, जालौर, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही एवं टोंक जिले जहां पर जेण्डर गैप 20 प्रतिशत या इससे अधिक है में शिक्षको को जेण्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण IDS (विकास अध्यन संस्थान, जयपुर) के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। गतिविधि का संचालन 3 चरणो में किया जायेगा। प्रथम चरण के अन्तर्गत IDS (विकास अध्यन संस्थान, जयपुर) द्वारा एक आदर्श जेण्डर संवेदनशील स्कूल का फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु जुन माह में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित 9 जिलो द्वारा अगस्त माह में अपने जिले मे स्थित 3–4 स्कूलों का जेण्डर गेप के आधार पर वास्तविक स्थिति पर आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करेंगें। द्वितीय चरण की समाप्ति पर बनाई गई रणनिति के आधार पर तृतीय चरण के अन्तर्गत इन 9 जिलों के शिक्षकों को जेण्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण सितम्बर/अक्टुबर माह मे प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त प्रथम एवं द्वितीय चरण के संपादन हेतु बजट सहयोग यूनिसेफ से लिया जाना प्रस्तावित है। तृतीय चरण के अन्तर्गत जेण्डर संवेदनशीलता शिक्षक प्रशिक्षण हेतु बजट एसएसए के प्रशिक्षण प्रकोष्ट द्वारा वहन किया जायेगा।